

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

संख्या: वि0स0-विधायन-नियम-130/1-33/2018

प्रेषक :

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

प्रेषित:


✓ श्री महेन्द्र सिंह,
माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक, शिमला-171004, 27.08.2018

विषय: नियम-130 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/नोटिस से सम्बन्धित (दैनिकी संख्या: 13/3/5, 20) ।

महोदय,

मुझे सर्वश्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह व श्री मुकेश अग्निहोत्री, माननीय सदस्यों से हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-130 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों/नोटिसों को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में चर्चा हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा चर्चा के लिए दिनांक 28-08-2018 का दिन निर्धारित किया है इस सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन भाग-2 संख्यांक: 78 दिनांक 28 .08.2018 की प्रति सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु संलग्न है।

भवदीय,


27.08.18.
(यशपाल शर्मा)

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

सोमवार, 27 अगस्त, 2018/ 5 भाद्रपद, 1940(शक्)

संख्या: 78

नियम-130 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम 130 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न प्रस्ताव को सदन में चर्चा हेतु स्वीकृति प्रदान की है। चर्चा हेतु मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 का दिन निर्धारित किया है:-

सदस्य का नाम	प्रस्ताव
श्री अनिरुद्ध सिंह श्री विक्रमादित्य सिंह श्री मुकेश अग्निहोत्री	"शिमला शहर की पेयजल समस्या पर यह सदन विचार करे।"

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।
